संख्या-37/2023/।/274897/2023/23-11099/4012/2020

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 14/02/2023**

विषय:- डी0एफ0सी0सी0 रूट पर जनपद गौतमबुद्ध नगर में उत्तर मध्य रेलवे के अन्तर्गत गाजियाबाद-टुण्डला रेल सेक्शन के कि0मी0 1412/11-13 के सम्पार संख्या-146 पर रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-188/पुन. आगणन-गौतमबुद्धनगर (सम्पार सं0-146)/सेतु-6/21-22, दिनांक 16-03-2022, पत्र संख्या-571/पुन0आगणन-गौतमबुद्धनगर (सम्पार सं0-146)/सेतु-6/22-23, दिनांक 24-06-2022 एवं पत्र संख्या-990/पुन0आगणन-गौतमबुद्धनगर (सम्पार सं0-146)/सेतु-6/22-23, दिनांक 27-09-2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डी0एफ0सी0सी0 रूट पर जनपद गौतमबुद्ध नगर में उत्तर मध्य रेलवे के अन्तर्गत गाजियाबाद-टुण्डला रेल सेक्शन के कि0मी0 1412/11-13 के सम्पार संख्या-146 पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-63/2020/118ई/23-11-2020-1/2(188)/2018, दिनांक 29-01-2020 द्वारा लागत रू0 19458.45 लाख (रूपये एक अरब चौरानबे करोड़ अट्ठावन लाख पैतालिस हजार मात्र) (जिसमें मुख्य सेतु-रेलवे पोर्शन की लागत रू0 9828.00 लाख, भूमि अध्याप्ति की लागत रू0 1220.47 लाख तथा पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 8409.98 लाख सम्मिलित है)+जी0एस0टी0 (नियमानुसार) की प्रदान की गयी थी।

प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु को 04 लेन के स्थान पर 06 लेन में बनाये जाने के दृष्टिगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 22487.00 लाख (रू0 दो अरब चौबीस करोड़ सत्तासी लाख मात्र) (जिसमें मुख्य सेतु रेलवे पोर्शन की लागत रू0 4882.46 लाख, भूमि अध्याप्ति की लागत रू0 1759.59 लाख तथा पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 15844.95 लाख सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	डी0एफ0सी0सी0 रूट में जनपद गौतमबुद्ध नगर में उत्तर मध्य रेलवे के अन्तर्गत गाजियाबाद-टुण्डला रेल सेक्शन के कि0मी0 1412/11-13 के सम्पार संख्या-146 पर 06 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य।	19458.45 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार)	22487.00

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) प्रश्नगत आर0ओ0बी0 में अतिरिक्त 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु की पूर्ण लम्बई Malti modal transport hub project area-DMIC-IITGNL/GNIDA के क्षेत्र की परिधि में आती है एवं उक्त अतिरिक्त 02 लेन का सम्पूर्ण व्यय भार वहन करने हेतु DMICIITGNL के पत्र संख्या-DMICIITGNL/2022-23/23, दिनांक 19-04-2022 द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी है। अत: उक्त अतिरिक्त 02 लेन आर0ओ0बी0 का सम्पूर्ण व्यय भार DMICIITGNL द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(10) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति (25876.95 व0मी0) की लागत रू0 1759.59 लाख प्रस्तावित की गयी है। भूमि अर्जन की कार्यवाही CALA (कम्पीटेन्ट अथारिटी फार लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(11) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग की एच0टी0 विद्युत लाइन की शिफ्टिंग हेतु आगणनानुसार रू0 544.48 लाख की प्रस्तावित धनराशि को यथावत अनुमन्य कर दिया गया है। इन कार्यो के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यो का विस्तृत आगणन के आधार पर Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तद्नुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(13) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ0बी0 निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 एवं एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04-11-2022 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-63/2020/118ई/23-11-2020-1/2(188)/2018, दिनांक 29-01-2020 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-101-पुल-05-रेलवे उपरिगामी सेतु-0516-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-15-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-566-X-2022-23, दिनांक 14-02-2023 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- जी0एम0(प्रोजेक्ट्स), डीएमआईसी-आईआईटीजीएनएल, गौतमबुद्धनगर।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
14- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
15- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
16- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
17- नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in